भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2034
जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक

2034 श्री विवेक के.तन्खा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 7 मई, 1997 को आयोजित न्यायालय की पूर्ण पीठ की बैठक में उच्चतम न्यायालय ने "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" अंगीकृत किया था, जिसे न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 के रूप में संहिताबद्ध किया गया था ;

(ख) क्या सरकार देश में न्यायिक जवाबदेही और मानकों के लिए कानून बनाने की योजना बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 1997 को अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में दो संकल्पों को अंगीकृत किया अर्थात् (i) "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने वाले कतिपय न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है और (ii) न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन सहित सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का पालन न करने वाले "इन-हाउस प्रक्रिया" न्यायाधीशों के खिलाफ उचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए । "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010" नामक एक विधेयक 01.12.2010 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। 15वीं लोक सभा के विघटन होने के परिणामस्वरूप यह विधेयक व्यपगत हो गया।

उच्च न्यायपालिका के लिए स्थापित "इन-हाउस प्रक्रिया" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। प्राप्त शिकायतों /प्रत्यावेदनों को उचित कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित किया जाता है।
